

आदेश

श्रीमति अनीता कुमारी पुत्र श्री राजबीर सिंह, पंच, वार्ड नं०. 04, ग्राम पंचायत सच्चा खेडा, खण्ड नरवाना, जिला जीन्द द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 11.07.2023 जो उपायुक्त, जीन्द के सिफारिश पत्र क्रमांक 4401/पंचायत-चुनाव दिनांक 27.09.2023 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
28-04-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025/19368-74

दिनांक 1-5-25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, जीन्द को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 4401/पंचायत-चुनाव दिनांक 27.09.2023 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नरवाना (जिला जीन्द)।
5. संप्रपंच, ग्राम पंचायत सच्चा खेडा, खण्ड नरवाना, जिला जीन्द।
6. श्रीमति अनीता कुमारी पुत्र श्री राजबीर सिंह, निवासी गांव सच्चा खेडा, तहसील नरवाना, जिला जीन्द

✓ आई०टी० सैल, मुख्यालय।


01/05/2025
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Mohit/Corina

11/5/25